BPSE-145: पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र और विकास

(ट्यूटर द्वारा मूल्यांकित सत्रीय कार्य)

सत्रीय कार्य कोड: BPSE-145/ASST/TMA/2026-27

अंक: 100

सत्रीय कार्य – I

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। (2 × 20 = 40 अंक)

1 पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, नृजातीय और आर्थिक रूपरेखा के संदर्भ में इसके निर्माण की व्याख्या कीजिए।

2 पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों और क्षेत्रीय तथा जिला परिषदों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

सत्रीय कार्य – II

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। (3 × 10 = 30 अंक)

3. पूर्वोत्तर भारत में प्रवासन, शरणार्थियों और नागरिकता के मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

4. पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्तता आंदोलनों और मान्यता की राजनीति पर चर्चा कीजिए।

5. पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।

सत्रीय कार्य – III

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। (5 × 6 = 30 अंक)

6. छात्र आंदोलन

7. महिला आंदोलन

8. पर्यावरण आंदोलन

9. मानवाधिकार आंदोलन

10. पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक और मानव विकास को आर्थिक विकास से अलग करके स्पष्ट कीजिए।

1. पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, नृजातीय और आर्थिक रूपरेखा के संदर्भ में इसके निर्माण की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पूर्वोत्तर भारत का निर्माण केवल भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण की घटना नहीं था। यह सदियों से विकसित समाजों, भाषाओं, जनजातीय समुदायों, व्यापारिक संपर्कों और आधुनिक प्रशासनिक परिवर्तनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। सामान्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को इस क्षेत्र में रखा जाता है। पर्वतीय घाटियाँ, ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदी-घाटियाँ और पड़ोसी देशों से लगी लंबी सीमाएँ इसकी क्षेत्रीय पहचान को विशेष बनाती हैं। फिर भी प्रत्येक राज्य की ऐतिहासिक यात्रा भिन्न रही है; इसलिए पूर्वोत्तर को एक समान संस्कृति वाला क्षेत्र मानना उचित नहीं है।

ऐतिहासिक और क्षेत्रीय गठन

प्राचीन तथा मध्यकाल में अहोम राज्य, मणिपुर का राजतंत्र, त्रिपुरा के माणिक्य शासक और विभिन्न पहाड़ी समुदायों की स्वशासी व्यवस्थाएँ यहाँ मौजूद थीं। अनेक समुदायों के संपर्क बर्मा, तिब्बत, भूटान और बंगाल से थे। ब्रिटिश शासन ने उन्नीसवीं शताब्दी में असम को अपने प्रशासनिक ढाँचे से जोड़ा; 1826 की यांडाबू संधि के बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। राजस्व, सीमांकन, चाय-बागान, वन-नियंत्रण और परिवहन परियोजनाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों के बीच नए संबंध स्थापित किए। दूसरी ओर, पहाड़ियों में सामान्य कानून से अलग प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थानीय समाजों और मैदानी शासन के बीच दूरी भी बनाई। इसलिए औपनिवेशिक एकीकरण और पृथक्करण की प्रक्रियाएँ एक साथ चलीं।

स्वतंत्रता के समय आज के आठ राज्यों का स्वरूप मौजूद नहीं था। नागालैंड 1963 में राज्य बना; मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बने; मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने। सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना और बाद में पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय संस्थागत परिभाषा में शामिल हुआ। इन पुनर्गठनों के पीछे भाषाई-सांस्कृतिक संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक व्यवहार्यता और स्वशासन की माँगें काम कर रही थीं। इसी कारण पूर्वोत्तर